न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2023/86

कालू आत्मज स्व. श्री बजरंगा जाति धाकड़ निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–अपीलांट

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र सुवालाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
2. मृतक जगदीश कायम मुकाम:–
   (I)जोधराज आत्मज स्व. जगदीश जाति धाकड़ निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
   (ii)मनीषा पुत्री स्व. जगदीश जाति धाकड़ निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
   (iii)फुलाबाई बेवा स्व. जगदीश जाति धाकड़ निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नैनवां जर्ये प्रबंधक, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
4. बड़ौदा ग्रामीण बैंक शाखा समीधी जर्ये प्रबंधक, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां, जिला बूंदी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री जितेन्द्र चौरसिया– अधिवक्ता अपीलांट
(2). श्री हैमेन्द्र सिंह आसावत– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय **दिनांक 26.09.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 163/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 व 188 के तहत वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीची तहसील नैनवा जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 84 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 283 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी संख्या 1 मांगीलाल के अकेले के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की है जिस पर वादी मांगीलाल वर्तमान में काबिज रहकर कृषि करता चला आ रहा है । ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 1 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 287 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किस्म बजंड स्थित है । उक्त भूमि राजकीय सिवाय चक भूमि है। ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीची तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 10 के अनुसार खसरा संख्या 285 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि स्थितहै । उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कालू के खानदारी अधिकार की है । ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीची तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 10 के अनुसार खरारा संख्या 276 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूगि प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश के खातेदारी अधिकार की है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 283 में जाने का रास्ता खसरा संख्या 291 आग रास्ता के पूर्वी ओर स्थित बाद पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 4 में स्थित भूमियां खसरा संख्या 287 285 276 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ वादी के खाते की भूमि खसरा संख्या 283 तक पहुंचता है । पादी पूर्व के 50 वर्षो से भी अधिक समय से अर्थात् पुरातन समय से इसी रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है। मौके के नजरी नक्शा परिशिष्ठ "अ" में रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है जो साथ में संलग्न है । वाद पत्र की चरण संख्या 3 लगायत 4 के खातेदारान प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 एक राय होकर वादी के वर्षो दराज पुराने रास्ते को बंद करने पर उतारू है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दिनांक 15/8/2017 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 जेसीबी से रास्ते के डाल लगाकर बन्द करने आ गये जिनको बड़ी मुश्किल से वापिस भेजा अन्यथा वादी का रास्ता बन्द कर देते फिर भी प्रतिवादीगण जाते जाते कहकर गये है कि हम तुम्हारे इस वर्षों पुराने रास्ते को बन्द करके रहेगें तुम्हे नहीं निकलने देगे । यही वाद कारण है । वादी का खसरा संख्या 287 285 276 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे होकर 20 फिट चौड़ा तथा पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा संख्या 283 तक पहुंचने का रास्ता ही एक मात्र रास्ता है जिसका राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिये वादी खसरा संख्या 287, 285, 276 के खातेदारान प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 एवं 5 को न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार कीमत अदा करने को तैयार है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वे बाद पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 4 की खसरा संख्या 287, 285, 276 में होकर निकल रहे बादी के आम रास्ते को अवरुद्ध नहीं करे तथा वादी के आने जाने में किसी प्रकार की

बाधा उपस्थित न तो स्वयं करे और न ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नहीं करावे । वादी गरीब व्यक्ति है जो ताकत के बल पर प्रतिवादीगण का मुकाबला नहीं कर सकती । प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया तो वादी का अपने खेत पर जाना दूभर हो जायेगा तथा उक्त रास्ते के अलावा वादी की भूमि खसरा संख्या 263 पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । जिससे वादी को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप में कदापि संभव नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 बैंक आफ बड़ौदा शाखा करवर जये शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक आफ बड़ौदा शाखा करवर को मुताबिक रिकार्ड आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है। जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रभावी याचना नहीं है और न ही उक्त वाद में किसी प्रकार से हित दुष्प्रभावित नहीं होते है । प्रतिवादी संख्या 4 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा समीधी (जये शाखा प्रबन्धक महोदय, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा समीपी तहसील नैनवां जिला बूंदी राजस्थान को मुताबिक रिकार्ड आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की प्रभावी याचना नहीं है और न ही उक्त वाद में किसी प्रकार से हित दुष्प्रभावित नहीं होते है । प्रतिवादी संख्या 5 को भू–स्वामी होने एवं आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रभावी याचना नहीं है और न ही उक्त वाद में इनके किसी प्रकार से हित दुष्प्रभावित नहीं होते है । अन्त मे वाद पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 4 में वर्णित ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां की कृषि भूमि खसरा संख्या 287, 285, 276 में होकर दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे 20 फिट चौड़ा तथा पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा संख्या 263 तक पहुंचने तक का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कीमतन दर्ज करने की आज्ञा प्रदान कि जाकर रास्ते का अंकन समस्त राजस्व नक्शे सहित समस्त राजस्व रिकार्ड में किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे खसरा संख्या 287, 285, 276 में होकर निकल रहे वादी के आम रास्ते को अवरुद्ध नहीं करे तथा वादी के आगे जाने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न तो स्वयं करे और न ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नहीं कराये ।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण द्वारा दिनांक 29.10.2021 को निर्णित किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 263 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 287 सिवायचक व 285 तथा 276 में कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 से व्यथित होकर की अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 ने यह अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर पेश की। अपील अपीलांट न्यायालय हाजा द्वारा सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद

सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट को माननीय अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नही हो सकी क्योंकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में ना तो साक्ष्य ली गई. और ना ही बहस सुनी गई तथा केम्प कोर्ट समीधी में रखने से पूर्व अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट की तारीख पेशी की सूचना भी नहीं दी गई, जिसके कारण अपीलान्ट केम्प कोर्ट में उपस्थित नही हो सका, तथा अपीलान्ट द्वारा अपने वकील साहब से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई, परन्तु अपीलान्ट के वकील साहब द्वारा सन्तोषजनक जवाब नही देने के कारण अपीलान्ट दिनांक 28.04.2023 को माननीय अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, तथा माननीय न्यायालय से जानकारी प्राप्त करने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई, जिस पर अपीलान्ट द्वारा अविलम्ब नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल प्राप्त होने पर आदेश की दिनांक 29.10.2021 से जानकारी की दिनांक 28.04.2023 तक का लगभग 18 माह का समय मियाद से कन्डोन किया जाकर अपील दिनांक 28.04. 2023 से अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थी ने जानबूझ कर उक्त अपील पेश करने में देरी नहीं की है. उक्त प्रकार हुई देरी सद्भाविक एवं क्षम्य है, उपरोक्त कारणों से निर्णय की दिनांक 29.10.2021 से जानकारी की दिनांक 285.04.2023 तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील दिनांक 28.04.2023 से अवधि मध्य स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। कैम्प कोर्ट कोर्ट में न तो अपीलांट थे तथा न ही उनके अधिवक्ता। इसलिए निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हुई। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 29.10.2021 से जानकारी की दिनांक 28.04.2023 तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील दिनांक 28.04.2023 से अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किये है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। इन्हें कैम्प कोर्ट की भी जानकारी थी। अपीलांट ने जानबूझकर अपील में विलम्ब किया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्षकारान की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस पर मनन किया। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.10.2021 का है तथा प्रश्नगत निर्णय कैम्प–कोर्ट में हुआ है। कैम्प–कोर्ट में न तो अधिवक्ता प्रतिवादी अपीलांट उपस्थित थे तथा न ही स्वयं अपीलांट उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी उन्हें समय पर नहीं हो पाई। एक अन्य तकनीकि त्रुटि यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने वाद प्रस्तुत किया था परन्तु निर्णय केवल 251–क के प्रार्थना–पत्र के रूप में हुआ है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि निर्णय उनकी अनुपस्थिति में हुआ तथा अपीलांट ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, अतः अधिवक्ता से पूछने पर अधिवक्ता ने सहयोग नहीं किया। हमारे मत में प्रकरण के अंतिम रूप से निस्तारण हेतु तथा सुनवाई के नैसर्गिक सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन के तकनीकि बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित होगा। प्रशासन गावों के संग अभियान में भी एकतरफा निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनयों में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 के खातेदारी की भूमि के खसरा संख्या 263 रकबा 16 बीघा 18 बिश्वा कृषि भूमि स्थित है, तथा साथ ही राजकीय शिवाचक भूमि खसरा संख्या 287 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किस्म बजंड भूमि स्थित है. तथा ब्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनयों में अप्रार्थी कम 1 अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 10 के खसरा संख्या 1285 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, एवं अप्रार्थी कम 2/रेस्पोडेन्ट कम 2 के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 10 के खसरा संख्या 276 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है. उक्त कृषि भूमि में खसरा संख्या 263 में जाने का रास्ता खसरा संख्या 291 जाम रास्ते के पूर्वी ओर स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 287, 285 व 276 की दक्षिण मेड के सहारे – सहारे होता हुआ प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 के खाते की भूमि खसरा संख्या 263 तक पहुंचता है, तथा इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है, अप्रार्थी कम 1 अपीलान्ट एवं अप्रार्थी कम 2 / रेस्पोडेन्ट कम 2 एक राय होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 के वर्षो दराज पुराने रास्ते को बंद करने पर उतारू है, तथा बलपूर्वक रास्ता अवरुद्ध करने पर आमदा है, उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 के खाते की कृषि भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता नही है, इसलिये प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 को अपने खाते की भूमि पर आने

जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिये रास्ता दिलवाना आवश्यक है, जिसकी राशि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 नियमानुसार जमा करवाने के लिये तैयार है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 के उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी क्रम 1 अपीलान्ट एवं अप्रार्थी कम 2/रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम किया तथा निवेदन किया की प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 की भूमि पर जाने का पुराना रास्ता चावण्डपुरा दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ ग्राम चावण्डपुरा से उनियारा जाने वाले आम रास्ते से जो आगे जाकर पश्चिम में पूर्वी दिशा की तरफ सरकारी भूमि पर 15 फिट चौड़ा रास्ता निकला हुआ है, जो कि जवाब प्रार्थना पत्र में परिशिष्ट "ब" के रूप में दर्शाया गया है, खसरा संख्या 286,285 व 276 में अप्रार्थी कम 1 अपीलान्ट ने पानी इकट्ठा करने का एनिकट बना रखा है, तथा दिनांक 19.09.2017 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट्स कम 1 द्वारा अप्रार्थी कम 1 अपीलान्ट के बने हुये एनिकट को नष्ट करने एवं जबरदस्ती कब्जा करने पर आमदा हो गये है, प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने जवाब काउन्ट क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, तथा वादग्रस्त रास्ते की भूमि में कोई एनिकट नही बना हुआ है. अपीलान्ट ने गलत तथ्य अंकित किये है, इत्यादि...। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट समीधी में तलब किया, तथा पक्षकारान् की उपस्थिति में बहस सुनना अंकित किया जबकि केम्प कोर्ट में ना तो अपीलान्ट उपस्थित हुआ और ना ही अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित हुये. तथा पक्षकारान की अनुपस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली में प्रार्थना पत्र की प्रार्थना अनुसार निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट अप्रार्थी कम 1 को ना हो सकी, उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को होने पर अप्रार्थी द्वारा आदेश की नकल प्राप्त की. तथा उक्त आदेश की अप्रसन्नता से अपीलान्ट निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करता है। निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय न्याय, संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट, क्रम 1 के पक्ष में निर्णय करने मे भारी त्रुटि की है। क्योंकि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में ना तो पक्षकारान् की साक्ष्य ली गई और ना ही पक्षकारान् की बहस सुनी गई, तथा केवल मात्र उक्त प्रकरण को केम्प कोर्ट समीधी में रखकर पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त प्रकरण रेस्पोडेन्ट कम 2 जगदीश पुत्र श्योकिशन की मृत्यु दिनांक 29.04.2020 को ही हो चुकी थी. तथा जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट कम 1 को पूर्ण रूप से थी, परन्तु उक्त प्रकरण में जगदीश के कायम मुकामान बनाने का प्रार्थना पत्र भी रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा भी प्रस्तुत नही किया गया और ना ही कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिया गया, तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी उक्त प्रकरण में केवल मात्र खानापूर्ति करते हुये उक्त प्रकरण को केम्प कोर्ट समीधी में रख कर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 के पिता मृतक जगदीश के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया, तथा अपीलान्ट के काउन्टर क्लेम के संबंध में कोई आदेश पारित नही किया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब दावे एवं काउन्ट क्लेम में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया था कि अपीलान्ट द्वारा खसरा संख्या 276,285,286 में 15 फुट चौड़ाई का एक एनिकट बना रखा है, जिसमें भूमि को सिंचित करने के लिये पानी इकट्ठा होता है, तथा उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में होकर किसी प्रकार का कोई रास्ता नही रहा है. रेस्पोडेन्ट कम 1 अपीलान्ट के एनिकट को तुड़वाकर रास्ता कायम करवाना चाहता है, जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, उक्त समस्त तथ्य पत्रावली में होने के बावजूद भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 की भूमि पर जाने का पुराना रास्ता ग्राम चावण्डपुरा से दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ उनियारा जाने वाले आम रास्ते से जो आगे जाकर पश्चिम से पूर्वी दिशा की तरफ 15 फीट चौड़ाई का रास्ता निकला हुआ है, जिस पर होकर रेस्पोडेन्ट कम 1 अपनी कृषि भूमि पर पहुंचता है, उक्त रास्ता सरकारी भूमि पर बना हुआ है, तथा उक्त रास्ते में होकर ही रेस्पोडेन्ट कम 1 अपने ट्रैक्टर ट्रोली बेलगाड़ी आदि लाता ले जाता रहा है, अपीलान्ट द्वारा भी उक्त रास्ते का नक्शा परिशिष्ट "ब" भी जवाब एवं काउन्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली है, परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही फौरी तौर पर उक्त आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.10.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित है। अपीलांट ने अपील लिमिटेशन के बाहर प्रस्तुत की है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.12.2017 से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा उनके अधिवक्ता की ओर से वादपत्र का जवाब पेश किया गया। अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उन्हे प्रकरण की जानकारी थी। अपीलांट को प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट समिधी में उपस्थित होने हेतु सम्मन नोटिस भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया। अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता थी। रास्ते में कोई एनिकट नहीं बने हुए है। रिपोर्ट में भी कोई एनिकट बना होना नहीं आया है। एनिकट रास्ते पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किया है। मौका रिपोर्ट से सही स्थिति स्पष्ट हुई तथा उसी के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार रास्ता प्रदान किया है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। वादी अपीलांट ने वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.09.2017 को अन्तर्गत धारा 251–क, 183 राजस्थान टिनैन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब–दावा प्रस्तुत किया तथा इसमें काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया। वादी ने जवाब काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया। इन तथ्यों से तकनीकि रूप से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण एक वाद के रूप में चल रहा था तथा इसमें निर्णय केवल प्रार्थना–पत्र के रूप में 251–क के तहत हुआ। तकनीकि रूप से वाद में डिक्री भी जारी होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की इस सम्बंध में कोई फाइंडिंग नहीं है तथा तकनीकि रूप से यह त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय में प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 26.0.2021 पर ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है कि जिससे साबित होता हो कि मौका रिपोर्ट तैयार करने की सूचना प्रतिवादी/अप्रार्थीगण को दी गई हो। अपीलांटगण के मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। चूंकि निर्णय अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति में हुआ, अतः यह सही है कि अपीलांट को मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का कथन रहा है कि मौके पर वादी/प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में एनिकट का निर्माण हो रहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालयने अपीलांट प्रतिवादी की इस आपत्ति पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। प्रकरण का निस्तारण प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट समिधि में किय गया । परन्तु कैम्प–कोर्ट की आदेशिका दिनांक 29.10.2021 पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन विश्वसनीय है कि निर्णय दिनांक 29.10.2021 प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना उन्हें सुने पारित कर दिया। हमारे मत में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलांट प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि मौका रिपोर्ट भी प्रतिवादी अपीलांट को बिना सुनवाई दिए उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई तथा प्रतिवादी अपीलांट को प्रश्नगत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर भी नहीं मिला। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 व 70 की पालना नहीं की। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.10.2021 विधि–अनुसार पारित नहीं किया, अतः प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.10.2021 खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या

163/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 68 से 70 के प्रकाश में पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस में विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा